

प्रेषक,  
श्रीप्रकाश सिंह,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में,  
निदेशक,  
अल्पसंख्यक कल्याण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-१

लखनऊ, दिनांक ०३ जनवरी, २०१७

**विषय-** १२ वीं पंचवर्षीय योजना में दिनांक १६.०३.२०१६ को ११२वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में वित्तीय वर्ष २०१५-१६ के लिए मल्टी सेक्टरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद-प्रतापगढ़ के इण्टर कालेज में १०० बेड के बालक छात्रावास का निर्माण हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

२- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- ३/१९(३२)/२०१३-पी०पी०(पी०टी०), दिनांक ३०.०३.२०१६ से जनपद-प्रतापगढ़ की उक्त परियोजना के लिए कुल अनुमोदित लागत ₹० ४६०.०० लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश ₹० २३०.०० लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश ₹० १,१५,००,०००/- (₹० एक करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश ₹० १,१५,००,०००/- (₹० एक करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) अर्थात् कुल ₹० २,३०,००,०००/- (₹० दो करोड़ तीस लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष २०१६-१७ हेतु प्रस्तावित बजट ₹० ५००.०० लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट ₹० ३७६.२७ लाख में से अवमुक्त कर आपके निर्वर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(₹० लाख में)										
क्र०	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्त प्रथम किश्त		अवमुक्त कुल धनराशि (के०/रा०)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	प्रतापगढ़	इण्टर कालेज में १०० बेड के बालक छात्रावास का निर्माण	०१	४६०.००	२३०.००	२३०.००	४६०.००	११५.००	११५.००	२३०.००
		<b>योग=</b>	०१	४६०.००	२३०.००	२३०.००	४६०.००	११५.००	११५.००	२३०.००

- 1- अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।
- 2- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, 30प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को हस्तान्तरित की जायेगी। इण्टर कालेज में 100 बेड के बालक छात्रावास का निर्माण को अनुमोदित धनराशि से ही 06 माह में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-मदों पर ही किया जायेगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, 30प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के निदेशक, के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 3- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा।
- 4- योजना की गाइड लाइन्स तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा इण्टर कालेज में 100 बेड के बालक छात्रावास का निर्माण निर्धारित मानकों सहित गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जायेगा।
- 5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 6- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत इण्टर कालेज में 100 बेड के बालक छात्रावास का निर्माण किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, योजना की लागत, बजट का स्रोत, कान्ट्रेक्टर का नाम व भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि का अंकन होगा। कार्य के पूर्णोपरान्त उस पर स्थायी रूप से विवरण अंकित किया जायेगा।
- 7- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। इण्टर कालेज में 100 बेड के बालक छात्रावास का निर्माण की विशिष्टियों, मानक, भवन एवं उपकरण आदि की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित है।

- 8- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।
- 9- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 10- अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, 30प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।
- 11- अवमुक्त धनराशि का दुरुपयोग होने की स्थिति में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, 30प्र0 लखनऊ एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 12- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, 30प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, 30प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 13- उक्त निर्माण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-जी0आई0 193/52-1-14-1(120)/2009, दिनांक 16 मई, 2014 के अनुसार निर्मित/निर्माणाधीन परियोजनाओं का थर्ड पार्टी से निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।
- 14- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यथावश्यकता स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से मानचित्रों को स्वीकृत कराया जायेगा तथा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- 15- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0116-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेण्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में बालक छात्रावास का निर्माण (के0 50 / रा050-के0+रा0)-24- वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

- 16- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव।

संख्या-67(1)/बावन-1-2017तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
- 5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत इण्टर कालेज में 100 बेड के बालक छात्रावास का निर्माण में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
- 8- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
- 9- निदेशक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत इण्टर कालेज में 100 बेड के बालक छात्रावास का निर्माण का समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
- 12- वित्त(आय-व्ययक) अनु०-1 को तीन स्वच्छप्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।
- 13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा०अरविन्द कुमार चौरसिया)

विशेष सचिव।